(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

उनवान

1. श्री रफीक मोहम्मद पुत्र बशीर पिनारा निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा

बनाम

1. जगदीश पुत्र कनीराम खटीक निवासी सांगानेरी गेट के पास भीलवाडा
2. कलसुम पत्नी बशीर पिनारा निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा
3. खातून पुत्री बशीर पिनारा निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा
4. गुड्डी पुत्री बशीर पिनारा निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा
5. जमीला पुत्री बशीर पिनारा निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा
6. शहनाज पुत्री बशीर पिनारा निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा
7. साबिर मोहम्मद पुत्र अल्लानुर पिनारा निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा
8. गफूर मोहम्मद पुत्र अब्दुल पिनारा निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा
9. जैबुन पुत्री अब्दुल पिनारा निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा
10. मुमताज पुत्री अब्दुल पिनारा निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा
11. मोहम्मद हुसेन पुत्र अब्दुल पिनारा निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा
12. शमीम बानु पुत्री अब्दुल पिनारा निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

किस्म मुकदमा 212 प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 182 सन् 2021

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
.9.2021	प्रकरण प्रस्तुत हुआ पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई कि ग्राम नई ईरास प0ह0 सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा में प्रार्थी एंव विपक्षीगण संख्या 02 से लगायत 12 की संयुक्त खातेदारी हक अधिकार एंव कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 2969,2971,2972,2973 किता 04 रकबा 1.1507 हैक्टयर भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थी एंव विपक्षीगण का हिस्सा निहित होकर उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी की उक्त वादग्रस्त आराजियात में से आराजी संख्या 2971,2972,2973 के दक्षिण में आराजी संख्या 2974/1 गे.मु. नहर सिथत है और उक्त गे.मु. नहर के दक्षिण में विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 2977 स्थित है। विपक्षी संख्या 01 प्रार्थी के पति दुर्भावना रखता है हॉल ही में दिनांक 9.9.2021 को विपक्षी संख्या 01 प्रार्थी की वादग्रस्त आराजियात में जबरन जेसीबी लेकर घुस गया ओर फसल नष्ट कर दिया विपक्षी संख्या 01 ने प्रार्थी से कहा कि में तुम्हारी जमीन में रास्ता निकालकर मेरी आराजी संख्या 2977 में आउंगा व जाउंगा। प्रार्थी के मना करने पर विपक्षी संख्या 01 लडाई झगडा करने पर आमादा हो गया और प्रार्थी को का कि में तुम्हारी जमीन में जबरन कब्जा कर रास्ता निकालुंगा । विपक्षी संख्या 01 को प्रार्थी की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न नही करने हेतु अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया। उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	

25.9.25 पत्रावली पेश। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता
उपस्थित नहीं। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता
को तीन बार आवाज लगवायी गयी।
परन्तु उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण प्रार्थी
की अदम हाजरी व प्रार्थी अधिवक्ता
की अदम पैरवी में खारिज किया जाता
है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा